न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
17/2015/प्रा.पत्र/2015	20.02.2015	28.07.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
..... प्रार्थी

बनाम

1–श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स जैन किराणा स्टोर सब्जी मण्डी के पास अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक निवासी राज. हायर सैकण्डरी स्कूल के पीछे अलीगढ़ तह. उनियारा जिला टोंक
..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

:–निर्णय–: **दिनांक 28.07.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.10.2012 को समय 06:35 पीएम पर मैसर्स जैन किराणा स्टोर सब्जी मण्डी के पास अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया। तथा पूछने पर श्री पवन कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में **चाय मधुर नं. 1 मूल पैक** 250–250 ग्राम की 40 प्लास्टिक थैलियां जूट के बेग में रखे हुए थे जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री पवन कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री पवन कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **चाय मधुर नं. 1 मूल पैक,** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 250 ग्राम की 8 प्लास्टिक थैलियां खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **चाय मधुर नं. 1 मूल पैक** 250 ग्राम की 8 प्लास्टिक थैलियां को चार साफ व सूखे 4 डिब्बों में बन्द कर डिब्बों को एयरटाईट बंद किया एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–403 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता व गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–403 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

मौके पर श्री पवन कुमार जैन ने **चाय मधुर नं. 1 मूल पैक** का कोई वारंटी बिल प्रस्तुत नहीं किया इस बाबत् वारंटी बिल मंगवाने हेतु आवेदक द्वारा पत्र प्रेषित किया तो उक्त फर्म के व्यवहारी ने कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./12/3892 दिनांक 26.10.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट स. एल.एस./712/एफएसएसए/2012/716 दिनांक 26.10.2012 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया **चाय मधुर नं. 1 मूल पैक** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zz)(iii) के अनुसार **असुरक्षित (Un-Safe)** स्तर का होना पाया गया।

श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स जैन किराणा स्टोर सब्जी मण्डी के पास अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक ने निर्धारित फीस जमा करवाकर पुनः जांच करवाने हेतु नियमानुसार अपील की अतः नियमानुसार नमूना पुनः जांच हेतु निदेशक फूड लेबोरेट्री गाजियाबाद भेजा गया जो पुनः जांच रिपोर्ट में **चाय मधुर नं. 1 मूल पैक** नमूना खा. सु. मा. अधि. की धारा 3(zx) उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** तथा 3(1)(zf) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 01.05.2015 को अप्रार्थी की ओर से श्री गजेन्द्र शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब पेश करने हेतु समय चाहा परन्तु अभिभाषक अप्रार्थीगण को कई अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया गया और ना ही अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **चाय मधुर नं. 1 मूल पैक** का विकय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के परिसर से लिया गया **चाय मधुर नं. 1 मूल पैक** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी शास्ति रूपये 2,00,000 (अक्षरे दो लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 28.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0